दिनांक 15.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–विदेशी नागरिकों की ई–मेल आईडी पर ब्लास्टिंग (मल्टीपल मेल) करके उनके साथ ठगी करने वाले गैंग का एक सक्रिय सदस्य आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 14–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विदेशी नागरिकों की ई–मेल आईडी पर ब्लास्टिंग (मल्टीपल मेल) करके उनके साथ ठगी करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य को आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अमित कुमार ढांडा पुत्र रणवीर सिंह निवासी ई–5 27, ग्राउण्ड फ्लोर सेक्टर 82 गुडगॉव थाना सेक्टर 82 गुड़गॉव हरियाणा।

बरामदगीः–

1– 01 अदद लेपटाप एप्पल मैक आई
2– 01 अदद मोबाइल एप्पल कम्पनी
3– 01 अदद इनोवा हाईक्रोस कार बिना नम्बर
4– 01 अदद आधार कार्ड
5– रूपये 500 नकद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–14–09–2025 को समय–18:20 बजे फाटक न0–8 वायु विहार रोड थाना क्षेत्र जगदीशपुरा आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आगरा–मथुरा क्षेत्र में विदेशी नागरिकों से साईबर ठगी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 14–09–2025 को निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, मु0आरक्षी प्रशांत कुमार, मु0आरक्षी अरविन्द कुमार, मु0आरक्षी अमित चौहान, मु0आरक्षी प्रदीप कुमार, आरक्षी चालक महेश रावत की टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना मिली कि विदेशी नागरिको की ई–मेल आईडी पर ब्लास्टिंग करके (मल्टीपल मेल) उनके साथ साईबर ठगी करने वाले गैंग का एक सक्रिय सदस्य वायु विहार रोड थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में मौजूद है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछतॉछ पर बताया कि इरफान मलिक पार्क सर्कस कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक काल सेन्टर चलाता है और यूएस अथवा विदेशी नागरिकों को ई–मेल पर ब्लास्टिंग करके मल्टीपल मेल करता है। काल सेन्टर द्वारा विदेशी नागरिको से फोन द्वारा बात करके ऐनीडेस्क के माध्यम से उनके कम्प्यूटर को हैक कर लिया जाता है। जिसके बाद अलग–अलग बहाने से उनसे ठगी की जाती है। अमित उपरोक्त चीन के किसी व्यक्ति से खाता नम्बर लेकर इरफान मलिक को वह खाता नम्बर उपलब्ध कराता है। जिसके बाद ठगी का पैसा उसी खाते में ट्रान्सफर होता है। ठगी द्वारा प्राप्त पैसे में 35 प्रतिशत चीनी नागरिक अपना कमिशन काटकर 65 प्रतिशत पैसा हवाला के माध्यम से अमित उपरोक्त को देता है, जिसमें से अमित उपरोक्त द्वारा 10 प्रतिशत अपना कमिशन काटकर शेष पैसा इरफान मलिक को दे दिया जाता है। इसके पूर्व में भी अमित उपरोक्त के विरूद्ध साइबर क्राइम स्टेशन गुडगॉव हरियाणा में मु0अ0सं0 153/2020 धारा 120बी, 420 भादवि एवं 75, 66डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जगदीशपुरा कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0 0617/2025 धारा 318(4), बी0एन0एस0 व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद कासगंज/थाना सुन्नगढ़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 14/15.09.2025 को थाना सुन्नगढ़ी व थाना सहावर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला मोहन से गढ़का जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवकुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सहावर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था,जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुन्नगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवकुमार निवासी भाबरू की मढैया थाना जुनावई जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद हाथरस/थाना चंदपा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.09.2025 को थाना चंदपा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चितावर मोड हाईवे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चंदपा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चंदपा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

<u>जनपद सीतापुर/थाना रामकोट</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **27 हजार 700 रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 15.09.2025 को थाना रामकोट व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शुभ सिटी मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1—ओमकार 2—संजय 3—हारून 4—धीरज 5—धीरज पुत्र राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, 27 हजार 700 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रामकोट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामकोट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त ओमकार हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर, बाराबंकी व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त संजय के विरूद्ध जनपद बहराइच, सीतापुर, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग,

अभियुक्त हारून के विरूद्ध जनपद सीतापुर, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 31 अभियोग, अभियुक्त धीरज के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त धीरज पुत्र राजाराम के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमकार निवासी कुम्हारनपुरवा शाहपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

2–संजय निवासी औरी शाहपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

3–हारून निवासी जालिमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

4–धीरज निवासी कम्हरिया कटेसर थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

5–धीरज पुत्र राजाराम निवासी कम्हरिया कटेसर थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–27 हजार 700 रूपये नगद।

3–02 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद चंदौली/थाना बलुआ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध पिस्टल, 05 मैगजीन, 01मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 15.09.2025 को थाना बलुआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैदपुर पुल के पास से अभियुक्त मो0 गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध पिस्टल, 05 मैगजीन, 01मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बलुआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 गुड्डू निवासी फलमण्डी मुंगेर थाना कोतवाली मुंगेर बिहार।

बरामदगी

1—05 अवैध पिस्टल, 05 मैगजीन, 01मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना कर्नलगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 42 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2025 को थाना कर्नलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—विष्णुशंकर 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 42 लाख 50 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विष्णुशंकर निवासी नवावगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर, वर्तमान पता कंचनपुर बी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 42 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **आनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख 21 हजार 220 रूपये नगद**
- **22 मोबाइल फोन, 07 एटीएम कार्ड**
- **03 मोटर साइकिल, 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 15.09.2025 को थाना बर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 80 फिट रोड बर्रा मैदान के पास से आनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले 08 अभियुक्तों 1–सिद्धार्थ 2–अक्षय 3–हर्ष 4–उमेश 5–अभिषेक 6–विशाल 7–प्रवीण 8–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 लाख 21 हजार 220 रूपये नगद, 22 मोबाइल फोन, 07 एटीएम कार्ड, 03 मोटर साइकिल, 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आनलाइन गेमिंग ऐप KARTIKEY 365, LOTUS 365 .XYZ, REDDY BOOK, DUBAIEXH आदि वेबसाइड के माध्यम से ठगी की घटनाएं कारित करते थे।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिद्धार्थ निवासी गुजैनी थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–अक्षय निवासी सी ब्लाक थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3–हर्ष निवासी निगहुंआ थाना भीमपुरा जनपद बलिया, हालपता हैप्पी टावर रतनलाल नगर थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

4–उमेश निवासी मवई थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, हालपता हैप्पी टावर रतनलाल नगर थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

5–अभिषेक निवासी ए–707 थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर।

6–विशाल निवासी नोनारी डेरापुर जनपद कानपुर देहात, हालपता हैप्पी टावर रतनलाल नगर थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

7–प्रवीण निवासी दबौली थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

8–दीपक निवासी ए ब्लाक गुजैनी थाना गोविन्द नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—03 लाख 21 हजार 220 रूपये नगद।

2—22 मोबाइल फोन, 07 एटीएम कार्ड।

3—03 मोटर साइकिल, 01 कार आदि।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरस्वरूप को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सांडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20—20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सांडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—वसीम 2—वासिफ को 20—20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————